होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

परिपत्र–08

क्रमांक 72 /निस/डी0जी0/2018 भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2018

महिलाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करने तथा महिलाओं को सशक्त, समर्थ एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के **"सम्मान–सुरक्षा–स्वरक्षा संवाद"** अभियान , पुलिस विभाग के **"सामाजिक जनचेतना अभियान"**, तथा होमगार्ड विभाग द्वारा संचालित **"सशक्त वाहिनी"** अभियान एवं **"महिला स्वरक्षा व आत्मरक्षा (Self defense) प्रशिक्षण"** अभियानों का जिला स्तर पर संचालन किया जा रहा है।

दिनांक 21–01–2018 को पुलिस विभाग के **"सामाजिक जनचेतना अभियान"** तथा **"सम्मान–सुरक्षा–स्वरक्षा संवाद"** अभियान कार्यक्रम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम में **माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अर्चना चिटनीस, महोदया** के द्वारा दिनांक 24–01–2018 से 08–03–2018 तक आयोजित होने वाले "सम्मान–सुरक्षा–स्वरक्षा संवाद" अभियान में होमगार्ड विभाग के अधिकारियों से महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के संबंध में अपेक्षा की गई है। इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में होमगार्ड, जिला सेनानी द्वारा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महिला बालविकास अधिकारी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से समवन्वय स्थापित करें, तथा दिनांक 21–01–2018 को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई जानकारी अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाहियों/गतिविधियों से मुख्यालय को अपनी मासिक/पाक्षिक डायरी के माध्यम से अवगत करावें ।

जिलों में होमगार्ड विभाग द्वारा **"सशक्त वाहिनी अभियान "तथा "समर्थ संगनी अभियान"** चलाने के संबंध में होमगार्ड मुख्यालय मध्यप्रदेश के परिपत्र कमॉक–6 के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिये गये है। जिलों के होमगार्ड कार्यालयों द्वारा सशक्त वाहिनी अभियान के तारतम्य में जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है कि, इस अभियान के तहत होमगार्ड विभाग द्वारा, अभी तक जिले में कितनी महिला प्रशिक्षणार्थी को पुलिस विभाग में भरती में चयन हेतु प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिया गया है, तथा जिले में दिये गये प्रशिक्षण के आधार पर कितनी महिला प्रशिक्षणार्थियों का पुलिस भरती में चयन हुआ है। अतः जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जावे ।

वर्तमान में महिलाओं से संबंधित बढ़ती आपराधिक घटनाओं का ग्राफ एक चिन्ता का विषय है। प्रदेश में पुलिस तथा समाज के बीच संवादहीनता के कारण महिलाऐं असुरक्षा की भावना महसूस करती हैं। महिलाओं में असुरक्षा की भावनाओं को दूर करने के लिए तथा उन्हें सशक्त, समर्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवतियों/छात्राओं/महिलाओं को स्वरक्षा व आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु होमगार्ड विभाग द्वारा समस्त जिलों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अधिकृत महिला होमगार्ड अधिकारी द्वारा युवतियों/छात्राओं/महिलाओं को **स्वरक्षा व आत्मरक्षा (Self defense)** का प्रशिक्षण दिया जावे । इस **"महिला स्वरक्षा व आत्मरक्षा (Self defense) प्रशिक्षण"** अभियान को जिला स्तर पर स्कूलों, कालेजों, ग्रामों आदि व अन्य स्थानों पर संचालित किया जा सकता है।

जिला सेनानी द्वारा उपरोक्त अभियानों के लिए अधिकृत महिला अधिकारियों को यह भी निर्देशित करें कि सशक्त वाहिनी अभियान, सम्मान–सुरक्षा–स्वरक्षा संवाद अभियान तथा महिला स्वरक्षा व आत्मरक्षा (Self defense) प्रशिक्षण अभियान के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन तथा सिविल डिफेन्स संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी जावे। इसके साथ साथ बालिकाओं/युवतियों/छात्राओं/महिलाओं को भारत शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों जिसमें प्रत्येक राज्य की कुल आबादी का 1 प्रतिशत जनसंख्या का सिविल डिंफेन्स वालेण्टियर के रूप में पंजीयन किया जाना है, को भी उपरोक्त अभियानों में सम्मिलित किया जावे, एवं इच्छुक एवं सेवाभावी युवतियों/छात्राओं/महिलाओं को सिविल डिफेन्स स्वयंसेवियों के रूप में पंजीकृत भी किया जा सकता है।

जिला सेनानी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाये जा रहे उपरोक्त अभियानो/कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिला होमगार्ड कार्यालय में एक महिला कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर को नामजद अधिकृत करें। ऐसे जिले जहॉ पर महिला कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर पदस्थ नहीं है, वहॉ अन्य महिला अधिकारी/स्वयंसेवी महिला को नामजद अधिकृत करें । तथा जिलें में होमगार्ड कार्यालय में इन अभियानों के तहत पृथक से एक पंजी का संधारण भी किया जावे, जिसमें महिला प्रशिक्षणार्थियों तथा दिये गये प्रशिक्षण तथा की गई कार्यवाहियों/गतिविधियों की आवश्यक जानकारियों को संधारित की जावे ।

(महान भारत सागर)
महानिदेशक, 23.1
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

पृ0कमॉक 73 /निस/डीजी/2018 भोपाल, दिनाक 24 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः

1– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
2– एडीशनल डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3– आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, विभाग, भोपाल।
4– पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, म0प्र0 जबलपुर ।
5– एडिशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।
6– समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश।
7– समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश।
8– निज सहायक, पुलिस महानिदेशक, म0प्र0, भोपाल।

महानिदेशक, 23.1
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

आन्तरिक
पीएस टू डी0जी